कार्यालय पर्यावरण सचिवालय, बाँदा।

पत्रांक : 04 /(पर्यावरण सचिवालय बांदा) दिनांक : फरवरी 12 ,2018

सार्वजनिक सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना सं0–125 दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट–10 के अनुसार जनपद की तहसील बांदा सदर के ग्राम–जौहरपुर (खादर व बांगर) तथा तहसील पैलानी के ग्राम–गौरा (खादर व बांगर) के बालू/मोरम के खनन क्षेत्रो की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अपना सूझाव आज दिनांक से 21 दिन तक जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (DEAC) के सचिवालय (खनिज भवन बांदा) स्थित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

12/02/18

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
कृते जिलाधिकारी, बाँदा।

जनपद बांदा की तहसील सदर के ग्राम–जौहरपुर तथा तहसील पैलानी के ग्राम–गौरा में यमुना नदी क्षेत्र में उपलब्ध बालू/मोरम के क्षेत्रो को खनन पट्टा पर दिये जाने के लिये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 12.02.2018 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए) की बैठक का कार्यवृत्त।

भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं0–125 दिनांक 15.01.2016 के परिशिष्ट–10 में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया एवं इसकी आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–10 में यह प्राविधानित है कि **"जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक् रूप से तैयार की जायेगी और इसके प्रारूप को कोलेक्टोरेट में इसकी प्रति को रखते हुए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तथा इसे जिले की वेबसाइट पर इक्कीस दिन के लिए पोस्ट किया जाएगा। प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त पाए जाने पर उन्हे डीईआईएए द्वारा छः मास के भीतर अंतिम रूप दी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।**

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय अनापत्ति रिपोर्टो को तैयार करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आवेदन का आधार होगी। रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा।"

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं0–166 दिनांक 20.01.2016 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0–1259/खनिज–30, बांदा दिनांक 05.03.2016 द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए) का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति द्वारा बालू/मोरम के क्षेत्रो को लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को दिनांक 23.11.2017 को अन्तिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद बांदा की तहसील सदर के ग्राम–जौहरपुर (खादर व बांगर) तथा तहसील पैलानी के ग्राम–गौरा (खादर व बांगर) में यमुना नदी क्षेत्र में उपलब्ध बालू/मोरम के क्षेत्रो को खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना है। उक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, बांदा के पत्र सं0–303/ल0डा0न0ख0बॉ0/दिनांक–08.02.2018 द्वारा नहर के सुचारू संचालन हेतु यमुना नदी क्षेत्र में जमा बालू/मोरम को हटाए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	नदी	तहसील	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	यमुना	बांदा (सदर)	जौहरपुर खादर	1, 1ब, 1अ, 2, 3, 3/1, 4, 4स, 5, 6स, 7ब, 8स, 8ब, 9, 10, 10अ, 11ब, 12घ, 13	88.245
2.	यमुना	बांदा (सदर)	जौहरपुर बांगर	1मि, 2, 3, 4, 11, 16, 15, 17, 18, 19, 2129, 2130, 2186अ, 2183मि, 18मि, 2मि, 19मि, 27मि, 2195मि, 2136, 2137, 2138, 2140, 2145, 2146, 2148, 2151, 2153, 2154/1, 2154/4, 2155, 2157, 2201, 2203, 2219, 2226, 2230, 2232, 2239, 2240, 2243, 2247, 2254/8, 2254/4, 2139/1, 2144/2, 2149, 2150, 2231, 2237, 2238, 2135, 2157/2, 2158/1अ, 2158/1ब, 2158/2, 2132/2, 2135, 2157/3, 2156/2, 2132, 2136/1, 2158, 2153/1, 2153/13, 2153/3, 2153/6, 2159/8, 2166, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2145, 2144/1, 2178, 2177, 2200/1, 2152/2, 2178/2, 2154/10, 2167/5, 2178/4, 2203, 2179/1, 2159, 2162, 2163, 2179/2, 2123/6, 2171, 2180, 2201, 2252, 2273, 2293, 2150, 2181, 2187, 2184, 2193, 2197/3, 2200/7, 2202/1, 2228/6, 2241, 2246, 2262, 2291	94.331
3.	यमुना	पैलानी	गौरा खादर	1/3, 1/1, 1/2, 1/5,	24.894

4.	यमुना	पैलानी	गौरा बांगर	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 55, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276	46.106

उपरोक्त क्षेत्रो को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने से पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के प्राविधानो के अनुसार 21 दिनो तक पब्लिक डोमेन में आमजन के सुझाव/आपत्ति हेतु जिले की वेबसाइट पर रखा जाना है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(सदस्य–सचिव)
डीईएसी/खान अधिकारी
बाँदा।

(सदस्य)
डीईआईएए/प्रोफेसर
(नामित विशेषज्ञ सदस्य) बाँदा।

(सदस्य)
डीईआईएए/प्रभागीय वन अधिकारी
बाँदा।

(सदस्य–सचिव)
डीईआईएए/उपजिलाधिकारी
बाँदा।

12. 2. 21

(अध्यक्ष)
डीईआईएए/जिलाधिकारी
बाँदा।

कार्यालय पर्यावरण सचिवालय, बाँदा।

पत्रांक : 03 /(पर्यावरण सचिवालय बांदा) दिनांक : फरवरी/12 ,2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष डीईआईएए/जिलाधिकारी, बांदा।
2. सदस्य–सचिव, डीईआईएए/उपजिलाधिकारी, बांदा।
3. सदस्य, डीईआईएए, प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा।
4. नामित विशेषज्ञ सदस्य, डीईआईएए/प्रोफेसर पंडित जे0ए0एन0 कालेज, बांदा।
5. सदस्य–सचिव, डीईएसी/खान अधिकारी, बांदा।

12 2 21

(अध्यक्ष)
डीईआईएए/जिलाधिकारी
बाँदा।